

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 25 (9) सा.प्र/4/15


जयपुर, दिनांक: 23/3/17

1. अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पंडारा-रोड़ नई दिल्ली।
2. प्रबन्धक राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी नई दिल्ली।
3. प्रबन्धक, राजस्थान भवन, वॉशी नवी, मुम्बई।
4. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन।

**विषय:-** राजकीय धन/सम्पत्ति के दुर्विनियोजन, गबन, चोरी एवं हानि के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने बाबत।


**सन्दर्भ:-** शासन सचिव, वित्त (व्यय) वित्त विभाग अंकेक्षण अनुभाग का पत्र क्रमांक पं. 7(1)वित्त/अंकेक्षण/2002 दिनांक: 14.03.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि राजकीय धन/सम्पत्ति के दुर्विनियोजन, गबन, चोरी एवं हानि के प्रकरणों में उल्लेखित संबंधित बिन्दुओं पर समय-समय पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करावें तथा ऐसे प्रकरणों एवं उन पर की गई कार्यवाही से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराये जाने का श्रम करें।

  
(इन्द्र सिंह राव)  
संयुक्त शासन सचिव (क)

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वित्त (व्यय) वित्त विभाग अंकेक्षण अनुभाग का पत्र क्रमांक पं. 7(1)वित्त/अंकेक्षण/2002 दिनांक: 14.03.2017

  
(इन्द्र सिंह राव)  
संयुक्त शासन सचिव(क)